


छावनी परिषद, मथुरा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सफाई कर को समाप्त करने के सम्बन्ध में रिट पिटीशन सं० 42658 ऑफ 2016 कुशल पाल सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एंड एनोदर जो माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन थी, दिनांक 22.11.2019 को खारिज हो चुकी है। अतः छावनी परिषद के कर बकायेदारों को सूचित किया जाता है कि छावनी परिषद के सभी बकाया करों को शीघ्र जमा करा दें अन्यथा छावनी अधिनियम के प्रावधानोसार कर वसूली की कार्यवाही की जायेगी जिसके हर्जे खर्चे के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे ।


मुख्य अधिशाषी अधिकारी,
मथुरा छावनी
(नागेश कुमार पाण्डेय)